न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88,53 आरटीए
प्रकरण संख्याः–51/2019

1. सतवीर पुत्र देवीलाल } जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला
2. रामस्वरुप पुत्र देवीलाल } हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र केशुराम जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. कमलेश पुत्री देवीलाल पत्नी परमानंद जाति जाट निवासी कीकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मीरा पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बीं।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता वादीगण
श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 08-07-2019

वादीगण सतवीर आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादीसं0 1 के नाम से चकनं0 2 बी आर एन तहसील टिब्बी के खाता सं0 16/13 मे प0न0 218/384 मु0 25 किलानं0 21/2/.228, 22/2/.228, 23/2/.228, 24/2/.228, प0न0 218/385 मु0 30 किलानं0 1 से 4/1.012, 7 से 14/2.024, 17 से 23/1.771 है0 कुल 5.719 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज है।

वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी प्रतिवादीसं0 1 को उसके पिता से विरास्तन प्राप्त हुई जिस कारण उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादीसं0 1 द्वारा वादपत्र की दफा 5 के अनुसार भूमि बटवारां कर वादीगण को दी हुई है जिस पर वादीगण अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आरहे है। प्रतिवादीया सं0 2 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण क पक्ष में मौखिक रुप से त्याग किया हुआ है। वादपत्र की दफा 5 के अनुसार वादीगण अपनी अपनी भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज अदा करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे भूमि वादीगण के नाम से दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारें का हनन होता है। इसलिए वादीगण वादपत्र कीदफा 5 के अनुसार भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर अपनी भूमि का खाता अलग से कायम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 5 में दर्ज आराजी के अनुसार भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने व खाता अलग से कायम करवाने व खाता हाजा में से प्रतिवादीसं0 1 का नाम कलमजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादीगण ने अदालत में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें से हम प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है। प्रतिवादीसं0 1 द्वारा वाद पत्र की दफा 5 के अनुसार भूमि बटवारां कर दी हुई है जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए वाद पत्र की दफा 5 के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 2 बीआरएन के खातासं0 16 नें से प्रतिवादीसं0 1 देवीलाल का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है। राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो राजीनामा के साथ शामिल कर बाद तस्दीक राजीनाना शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी स्टेट द्वारा जबाबदावा पेश किया गया जिसमें कोई वादीगण के वाद का कोई विरोध नही किया गया। जबाबदावा शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उपरोक्त आराजी का वादपत्र की दफा 5 के अनुसार आपस में राजीनामा हो गया है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी सतवीर द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, पर्चाखतौनी आदि का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीसं0 1 देवीलाल के नाम से दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादीसं0 1 सतवीर को चकनं0 2 बीआरएन के खाता सं0 16 के प0न0 218/384 मु0 25 किलानं0 23/2/.228, 24/2/.228, प0न0 218/385 मु0 30 किलानं0 3,4,7,8,13,14,17,18,23 कुल 2.733 है0 तथा वादीसं0 2 रामस्वरुप को चकनं0 2 बीआरएन के खाता सं0 16 के प0न0 218/384 मु0 25 किलानं0 21/2/.228, 22/2/.228, प0न0 218/385 मु0 30 किलानं0 1,2, 9 से 12, 19 से 22 कुल 2.986 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व वादीगण की भूमि का उपरोक्त अनुसार खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम करने तथा चकनं0 2 बीआरएन के खाता सं0 16 मे से प्रतिवादीसं0 1 देवीलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08-07-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर–51/2019

1. सतवीर पुत्र देवीलाल
2. रामस्वरुप पुत्र देवीलाल

जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र केशुराम जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. कमलेश पुत्री देवीलाल पत्नी परमानंद जाति जाट निवासी कीकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मीरा पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जगदीशप्रसाद शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादीसं0 1 सतवीर को चकनं0 2 बीआरएन के खाता सं0 16 के प0न0 218/384 मु0 25 किलानं0 23/2/.228, 24/2/.228, प0न0 218/385 मु0 30 किलानं0 3,4,7,8,13,14,17,18,23 कुल 2.733 है0 तथा वादीसं0 2 रामस्वरुप को चकनं0 2 बीआरएन के खाता सं0 16 के प0न0 218/384 मु0 25 किलानं0 21/2/.228, 22/2/.228, प0न0 218/385 मु0 30 किलानं0 1,2, 9 से 12, 19 से 22 कुल 2.986 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व वादीगण की भूमि का उपरोक्त अनुसार खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम करने तथा चकनं0 2 बीआरएन के खाता सं0 16 मे से प्रतिवादीसं0 1 देवीलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.07.2019 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner